प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2019**

विषयः **राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के मरम्मत/जीर्णोद्धार तथा राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्युत, किराया आदि के भुगतान हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-244.28 लाख की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-216/बजट/2018-19 दिनांक 21.02.2019 एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-709/ई-1-320/दस-2019, दिनांक-19.03.2019 पृष्ठांकन संख्या-206/58-2-2019-300(17)/2017 दिनांक-22.03.2019 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0417-मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना में हो रही बचतों में से लेखाशीर्षक-**2415-80-**004-07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की योजनान्तर्गत देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-14.06 लाख की व्यवस्था** पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान**			
	09-विद्युत देय	10.00	7.00	7.00
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	1.80	1.80
	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	3.50	0.41	0.41
	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.35	0.35
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10.29	4.50	4.50
	योग-	**29.04**	**14.06**	**14.06**

(रूपया चौदह लाख छः हजार मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2-उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

4- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

6- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

7- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

8- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

9- बी0एम0-9 के प्रपत्र के कालम संख्या-2 एवं 8 में अंकित धनराशियां, पूर्व में कराये गये पुनर्विनियोग में की गयी व्यवस्था, यदि कोई हो, के संबंध में अवश्य चेक कर लेंगे।

10- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-51/2019/282(1)/58-2-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in